

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक 2155 द्वारा श्री अजय विश्नोई माननीय सदस्य विधानसभा।

अजय विश्नोई

विधायक-पाटन
म.प्र. विधानसभा
0025/0197



कार्यालय : प्रथम तल, अनुश्री कॉम्प्लेक्स (2)
नौदरा ब्रिज, जबलपुर (म.प्र.)
निवास : 36, नया गाँव, रामपुर,
जबलपुर (म.प्र.) 482008
मोबाइल : 9425150600
ईमेल : ajay.vishnoi1952@gmail.com
दिनांक : 03-03-2025

प्रति,

माननीय डॉ. मोहन यादव जी
मुख्यमंत्री,
म.प्र. शासन,
वल्लभ भवन,
भोपाल म.प्र.

2166/CMS/MHA/03/25
03/04/25

विषय : गोदामों सड़ चुके गेहूँ की नीलामी बावत।

—0—

मान्यवर,

कृपया अवगत हो कि शासन द्वारा MSP पर खरीदे गये गेहूँ को गोदामों में रखा जाता है। कई गोदामों में रख-रखाव के अभाव में गेहूँ खराब हो जाता है। शासन इस खराब गेहूँ की नीलामी करता है और नीलामी में प्राप्त कम राशि की वसूली गोदाम मालिकों से की जाती है।

अनुरोध है कि नीलामी के पूर्व गोदाम मालिकों को यह ऑफर दिया जाना उपयुक्त होगा कि वह खराब गेहूँ स्वयं रख लें एवं शासन को गेहूँ की कीमत की भरपाई कर दें। इस प्रकार शासन, नीलामी की प्रक्रिया और प्रक्रिया में लगने वाले समय की बचत कर सकेगा। जिस गोदाम का मालिक इस खराब गेहूँ की खरीद में असफल हो तो उसके गेहूँ की नीलामी की जा सकती है। धन्यवाद!

(अजय विश्नोई)

अनुसन्ध, अधिवक्ता,
का. प्र. वि. अ. वि. वि.
जबलपुर, म.प्र. विभाग,
भोपाल